न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 17 / 2024

मुन्सफ खां पुत्र अकबर आयु 59 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान) ।

—— प्रार्थी

बनाम

1. अतांवा पुत्री अकबर जाति मुसलमान निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. अनारां पुत्री अकबर जाति मुसलमान निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
3. गुलजारा पुत्री अकबर जाति मुसलमान निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
4. जीकरां पुत्री अकबर जाति मुसलमान निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
5. जुबैदां पुत्री अकबर पत्नि जंहागीर खां जाति मुसलमान निवासी 75000 आर0डी0 चक नब्बूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
6. दाल्ला पत्नी अकबर जाति मुसलमान निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
7. बिसमिल्ला पुत्री लियाकतअली पत्नी माजीद खां जाति मुसलमान निवासी हांसलिया हाल 75000 आर0डी0 चक नब्बूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
8. अजीज, बेगम पत्नि स्व० जाकिर जाति मुसलमान निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
9. गुलाम रसुल पुत्र स्व० जाकिर जाति मुसलमान निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
10. मकबूल पुत्र स्व0 जाकिर जाति मुसलमान निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
11. महबूब पुत्र स्व0 जाकिर जाति मुसलमान निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
12. नगीना पुत्री स्व० जाकिर जाति मुसलमान निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

——अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत निषेधाज्ञा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री गुरमेल सिंह ढिल्लो — प्रार्थी
2. श्री हीरालाल बिरथलिया — अप्रार्थी सं. 5,7,
3. श्री रतन सिंह सिद्धू — अप्रार्थी सं. 8 ता 12

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा   अप्रार्थी सं. 13

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28/8/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री गुरमेल सिंह ढिल्लों अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया है प्रार्थ्ना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा उक्त शीर्षक का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है, जिसमें प्रार्थी को कामयाब होने की पूर्ण आशा है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम सयुंक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 10 एस0टी0बी0 के खाता संख्या 3/4 नम्बर 38/356 (63) किला नम्बर 1 ता 10, 25/2 की कुल 2.538 हैक्टेयर कंमाड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। 3. यह कि प्रार्थना पत्र की नोईयत को समझने के लिये प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि प्रार्थी के पिता स्व० श्री अकबर पुत्र दानेखा जाति मुसलमान निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ जो कि मुस्लिम विधि से शासित होते है, का स्वर्गवास दिनांक 27.01.2018 को हुआ। प्रार्थी के पिता की शादी अप्रार्थी संख्या 6 के साथ हुई। जिसके नुत्फे से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व पुत्र स्व0 जाकिर पैदा हुए। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की भाई जाकिर की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 6 ता 12 है5. यह कि प्रार्थी ने दो सप्ताह पूर्व जमाबंदी प्राप्त की तो प्रार्थी को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के पिता स्व० अकबर की मृत्यु होने के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा महरूम अकबर के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि को बहिस्सा बराबर का अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लिया। अप्रार्थीगण को यह ज्ञान था कि वे मुस्लिम विधि से शासित होते है, फिर भी इस महत्वपूर्ण तथ्यों को राजस्व अधिकारीयों से छिपाकर असद्भावनापूर्वक उक्त वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थीगण ने बहिस्सा बराबर का हक बतलाते हुए अपने नाम से विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया व इस समस्त कार्यवाही को प्रार्थी से संगुप्त रखा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मुस्लिम विधि के अनुसार पिता की भूमि में हक व हिस्सा प्राप्त करने के ही अधिकारी थे। मुस्लिम विधि अनुसार पिता की भूमि में पत्नि को 1/8 व प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक पुत्र से आधे हिस्से का निर्धारण किया हुआ है। ऐसा इन्तकाल चूंकि अविधिक तौर पर सभी के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुआ है, जो कि मुस्लिम विधि के उतराधिकार के पूर्णतः विपरीत होने से मूलतः ही अवैद्य व शून्य है। ऐसे गलत इन्तकाल का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में अंतरित कर दिया है व अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 के द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में अंतरित कर दिया है, राजस्व अभिलेख में उक्त 2.538 हैक्टेयर भूमि की प्रविष्टियां अप्रार्थीगण के नाम कतई गलत, विधिविरूद्व एंव प्रारम्भतः ही शून्य है तथा प्रार्थी उक्त भूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित आधारों पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का कि अधिकारी है–

क. कि प्रश्नगत भूमि स्व0 अकबर की खातेदारी भूमि थी । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मुस्लिम विधि से शासित होने के चलते अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा प्रश्नगत भूमि में नहीं है बल्कि स्व0 अकबर के देहान्त के उपरांत उक्त भूमि में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 से दोगुणा ओंद हुआ व अप्रार्थी संख्या 6 का 1/8 हिस्सा ओद हुआ।

ख. कि प्रश्नगत भूमि में अप्रार्थी संख्या 4 का बहुत ही कम हक व हिस्सा ओद हुआ था। कानूनन एक वारिस मुस्लिम विधि [illegible] प्राप्त कर सकते है, इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 4 को उक्त भूमि में 1/8 [illegible] दर्शित किया गया, जो कि कानूनन गलत था, जिसे अप्रार्थी [illegible] पक्ष में जरिए बैयनामा अंतरित किया है। इसी कारण [illegible] शून्य व अवैद्य तथा ऐसे दस्तावेज से अप्रार्थी संख्या 7 में प्रश्नगत 2.538 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में कानूनन कोई हक व हित ना तो अन्तरित हुए व ना ही उसे उक्त भूमि [illegible] कोई खातेदारी अधिकार निहित हुए अप्रार्थी सं. 4 ने अप्रार्थी सं. 7 से साजिश रचकर अवैध व प्रारम्भतः ही शुन्य दस्तावेज के आधार पर राजस्व अभिलेख में इन्तकाल दर्ज करवाया है, यह प्रविष्टी प्रार्थी के हकुक खातेदारी, निष्प्रभावी एंव बेअसर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ग. कि प्रशनगत भुमि में महरूम जाकिर हुसैन के वारीस अप्रार्थी सं. 8 ता 12 द्वारा अप्रार्थी सं. 5 के पक्ष में किया गया अन्तरण अवैध व प्रारम्भतः ही शुन्य है। अप्रार्थी सं. 8 ता 12 के पिता महरूम जाकिर हुसैन का अपने पिता महरूम अकबर से पुर्व ही दिनांक (महरूम जाकिर हुसैन) 05.11.2010 को देहान्त हो चुका था। मुस्लिम विधि में प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त, को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए यदि व्यक्ति की मृत्यु पुत्र और पुर्व मृत पुत्र से पौत्र को छोड़कर मृत होता है, तो पुत्र उतराधिकारी होता है और पौत्र अपवर्जित किया जाता है। उक्त स्थिति के चलते अप्रार्थी सं. 8 ता 12 का उक्त प्रशनगत भुमि में कोई हक व हिस्सा नहीं था जिनके द्वारा गलत इन्तकाल का फायदा उठाकर उक्त भुमि का अन्तरण कर दिया है जो उन्हे मुस्लिम विधि के अनुसार उन्हे प्राप्त ही नहीं होता था। ऐसे अन्तरण के जरिये अप्रार्थी सं. 5 ने साजिश रचकर उक्त अवैध व प्रारम्भतः ही शुन्य दस्तावेज के आधार पर राजस्व अभिलेख में इन्तकाल दर्ज करवाया है, यह प्रविष्टी प्रार्थी के हकुक खातेदारी, निष्प्रभावी एंव बेअसर है।

यह कि अप्रार्थीगण का प्रशनगत कृषि भुमि में अपने हक व हिस्सा से अधिक इन्तकाल दर्ज है जो पुर्णतय गलत व विधिविरूद्ध है। जैसा कि पुर्व में निवेदन किया गया है कि मुस्लिम विधि के अनुसार हिस्सेदारो को ब.हि.ब. का हक प्राप्त नहीं है। इसके बावजुद भी इस गलत इन्तकाल का फायदा उठाकर महरूम जाकिर हुसैन के वारीसान अप्रार्थीगण सं. 8 ता 12 द्वारा एक बैयनामा अप्रार्थी सं. 5 के पक्ष में करवा दिया है व अप्रार्थी सं. 4 के द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. 7 के पक्ष में अंतरित कर दिया है, ऐसा अन्तरण शुरू से अवैध व शुन्य है तथा वादी के हितो पर निष्प्रभावी है इसलिए प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की घोषणात्मक आज्ञाप्ति प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भुमि में प्रार्थी का अप्रार्थी सं. 1 ता 5 से दौगुणा हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 6 का 1/8 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 4 के द्वारा अपना हक हिस्सा अप्रार्थी सं. 7 के पक्ष में अंतरित किया गया है व अप्रार्थी सं. 8 ता 12 द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. 5 के पक्ष में अंतरित किया है, जो अवैध व शुन्य है, जिसके चलते अप्रार्थी सं. 5 व 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भुमि को हटाकर अप्रार्थी सं. 5 व 7 का नाम कल्मजन किया जावे।

यह कि प्रतिवादीगण बदनियत होकर अपने अभिलेख हिस्सा की चरण सं. 2 में वर्णित भुमि दीगर व्यक्तियों के पक्ष में अंतरित करने व वादी के कब्जा काश्त मे दखलंदाजी करने व वादी को उसके कब्जा की कृषि भुमि से बेदखल करने हेतु प्रयासरत है। प्रतिवादीगण अगर अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपिरेमय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है इस अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वे प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में अंकित कृषि भुमि को दीगर व्यक्तियों के पक्ष में रहन, बैय व अन्तरित करने व प्रार्थी के कब्जाकाश्त की भुमि से जबरन बेदखल करने से निषिद्ध रहे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अमर की जारी कि जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भुमि तहसील पीलीबंगा के चक 10 एस. टी.बी. के खाता सं. 3/4 के प.न. 38/356 (63) किला नं. 1 ता 10, 25/ 2 की कुल 2.538 हैक. भुमि को दीगर व्यक्तियों के पक्ष में रहन, बैय व अन्तरित करने व प्रार्थी के कब्जाकाश्त की भुमि से जबरन बेदखल करने से निषिद्ध रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज [illegible] किया गया एक पक्षिय बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई जिसपर [illegible] निषेधाज्ञा जारी शुदा है अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब [illegible] 12 की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता द्वारा [illegible] गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है शमिल पत्रावली है जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थी को उक्त वाद पत्र मे किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नही है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय बिन्दु के क्षति प्रार्थी के पक्ष मे नही होकर मिन अप्रार्थीया के पक्ष मे है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थीना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थीगण का कितना कितना हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी अनुसार अंकित नही किया है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से मिथ्या तथ्यों के आधार पर अंकित किये गये है, असत्य व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है, क्योंकि उक्त मद मे वर्णित कथन प्रार्थी द्वारा केवल मात्र वाद को मात्र रंगत देने की गर्ज से अंकित किये है क्योंकि मिन अप्रार्थी की जानकारी के अनुसार प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है और संयुक्त रूप से निवास कर रहे है तथा प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण द्वारा परस्पर सहमति व घरा घरू बंटवारा अनुसार ही मृतक अकबर के नाम वाद पत्र की मद सं. 2 मे वर्णित 2.538 हैक. कृषि भूमि का राजस्व नामान्तरण ब.हि. ब. दर्ज करवाया था जिसमे प्रार्थी की पूर्ण रूप से सहमति थी और उक्त नामान्तरण की जानकारी प्रार्थी को आरम्भ से रही और वाद व शेष अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध मे मौखिक रूप से हुए घरा घरू बंटवारा अनुसार नामान्तरण करवाने का उद्देश्य रखा व समस्त सदस्यों के मध्य साम्पतिक विवाद पैदा न हो, इस कारण मृतक अकबर के समस्त वारिसान द्वारा प्रशनगत कृषि भूमि को ब. हि. ब. प्राप्त करना स्वीकार करते हुये उक्त नामान्तरण की कार्यवाही अमल में लाई गई थी और इसलिए प्रार्थी ने उक्त नामान्तरण कार्यवाही को किसी भी राजस्व न्यायालय मे चुनौती नही दी, इससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने अपनी पूर्ण स्वतंत्र ईच्छा व सहमति से उक्त नामान्तरण समस्त सदस्यों के पक्ष मे ब. हि. ब. करवाया था। अप्रार्थी सं. 4 जो कि मिन अप्रार्थी की माता है और अप्रार्थी सं. 4 का मिन अप्रार्थी से हार्दिक स्नेह व लगाव है, इसलिए अप्रार्थी सं. 4 ने अपनी स्वतंत्र ईच्छा व पूर्ण सहमति से प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 मे वर्णित 2. 538 हैक. कृषि भूमि मे से अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का दान रोबरू गवाहान दिनांक 15.05.2023 को मिन अप्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित व पंजीबद्ध करवाया था तथा अप्रार्थी सं. 8 ता 12 को घरेलू जरूरत हेतू रूपयों की आवश्यकता होने के कारण अप्रार्थी सं. 8 ता 12 ने वादग्रस्त कृषि भूमि मे अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि रोबरू गवाहान दिनांक 17.02.2023 को जरिये बैयनामा अप्रार्थी सं. 5 को बेचान कर बेचान की प्रतिफल राशि प्राप्त की थी। उक्त दान पत्र व बैयनामा की जानकारी प्रार्थी को आरम्भ से रही है क्योंकि उक्त दान पत्र व बैयनामा के आधार पर कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे नामान्तरण मिन अप्रार्थी व अप्रार्थी सं. 5 के पक्ष मे हो चुका था और मिन अप्रार्थीया दान पत्र के रोज से अप्रार्थी सं. 4 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है जिसकी जानकारी भी प्रार्थी को आरम्भ से रही है क्योंकि प्रार्थी व मिन अप्रार्थी व शेष अप्रार्थी के नाम उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है। प्रार्थी को उकत समस्त तथ्यों की जानकारी होने के पश्चात भी प्रार्थी द्वारा हस्तगत वाद पत्र दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत करने से पूर्व एक वाद पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जो कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय की अनुमति से दिनांक 12.01. 2024 को वापिस ले लिया था। इससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा केवल मात्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर मिन अप्रार्थी व शेष अप्रार्थी से रंजिश रखने के कारण यह वाद प्रस्तुत किया है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की सहमति से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होने के पश्चात प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 4 व 8 ता 12 के हिस्सा को हड़पने हेतू प्रयासरत था लेकिन अप्रार्थी सं. 4 ने अपना हक व हिस्सा मिन अप्रार्थी के पक्ष मे जरिये दान पत्र हस्तांतरित कर दिया था जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने उक्त वाद पत्र बिना किसी वाद कारण की अधिकारिता होने व मियाद बाहर होने के पश्चात भी प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित आधारों के अनुसार घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योंकि प्रार्थी द्वारा विरासतन नामान्तरण अनुसार अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त कर चुका है और प्रार्थी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे दर्ज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

कि उपचरण (क) मे वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये है असत्य, मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध मे मृतक अकबर के जीवनकाल मे मौखिक रूप से उनकी सहमति अनुसार घरा घरू बटवारा किया जा चुका था और उसी अनुसार मृतक अकबर के नाम दर्ज कृषि भूमि उनके समस्त वारिसान को ब.हि.ब. प्राप्त हुई थी जिससे प्रार्थी की पूर्ण रूप से सहमति थी।

कि उपचरण ख मे वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये असत्य व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है जैसा की पूर्व की मद में उल्लेख किया चुका है कि समस्त वारिसान की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पूर्ण सहमति से बराबर कृषि भूमि प्राप्त की और उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण की कार्यवाही अमल में लाई गई थी। यदि उक्त नामान्तरण से प्रार्थी के हित प्रभावित हुये होते तो प्रार्थी के द्वारा नामान्तरण को चुनौती हेतू सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जाती लेकिन प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक विरासतन नामान्तरण के विरूद्ध कोई कार्यवाही अमल मे नही लाई गई है तथा अप्रार्थी सं. 4 द्वारा मिन अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 15.05.2023 को निष्पादित व पंजीबद्ध दान पत्र को किसी सिविल न्यायालय मे आज दिनांक तक चुनौती नही दी है, इन सब से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विरासतन नामान्तरण की कार्यवाही में प्रार्थी की पूर्ण रूप से स्वतंत्र ईच्छा व सहमति रही है और उनसके पश्चात भी मिथ्या तथ्यों के आधार पर हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज योग्य है। कि उपचरण ग मे वर्णित कथन असत्य, मनगढ़त आधारो पर अंकित होने के कारण अस्वीकार है। उक्त उप चरण मे वर्णित कथनों का मिन अप्रार्थीया से कोई सरोकार नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये है, अस्वीकार है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि का इन्तकाल लगभग 7 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसकी प्रार्थी को आरम्भ से जानकारी रही है और प्रार्थी की उक्त इन्तकाल के संबंध मे सहमति रही है और उक्त इन्तकाल से यदि प्रार्थी के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ा होता तो प्रार्थी के द्वारा उक्त इन्तकाल के संबंध मे कोई कार्यवाही अमल में लाई जाती लेकिन प्रार्थी ने उक्त इन्तकाल को आज दिनांक तक चुनौती नही दी है तथा उक्त इन्तकाल के अनुसार अप्रार्थी सं. 4 को प्राप्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 4 ने मिन अप्रार्थी के पक्ष मे जरिये दान पत्र पंजीबद्ध करवाया जा चुका है और उक्त दान पत्र के आध र पर मिन अप्रार्थीया ने उसी रोज विवादग्रस्त कृषि भूमि का हक व हिस्सा अनुसार कब्जा प्राप्त कर लिया है और निर्विवाद रूप से निरन्तर काश्त कर रही है। प्रार्थी के द्वारा उक्त दान पत्र आज दिनांक तक सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती नही है इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी की उक्त इन्तकाल के संबंध मे पूर्ण सहमति थी और उक्त इन्तकाल घरा घरू बंटवारा अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे प्रविष्टि की गई थी लेकिन अब प्रार्थी मिन अप्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण से रंजिश रखने लगा है जिसके कारण से प्रार्थी मिन अप्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के उद्देश्य से मिथ्या तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया है क्योंकि यदि शेष अप्रार्थीगण द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर7

इन्तकाल की कार्यवाही की गई होती तो प्रार्थी द्वारा शेष अप्रार्थी के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही अमल में लाई जाती लेकिन प्रार्थी ने आज दिनांक तक कोई सिविल/फौजदारी कार्यवाही मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध नही की है। इससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी केवल मात्र बदयांतिपूर्वक मिन अप्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण का हक व हिस्सा मारने की गर्ज से व मिन अप्रार्थी को व शेष अप्रार्थीगण को उनके विधिक अधिकारों से महरूम करने के उद्देश्य से मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी को उसके हक व हिस्सा की कृषि भूमि पूर्व मे ही प्राप्त हो चुक है इस कारण प्रार्थी मिथ्या तथ्यों के आधार पर मुस्लिम विधि की आड मे कोई घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी व शेष अप्रार्थी के पक्ष मे इनतकाल की कार्यवाही राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधि अनुसार अमल में लाई गई है और इस कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे कलमजन करवाने का अधिकारी नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है, असत्य, मनगढ़त होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी रिकॉडर्ड खातेदार काश्तकार है जिसके कारण से प्रार्थी को मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नही है और इसलिए प्रार्थी मिन अप्रार्थी के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। मिन अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई दखलअंदाजी कारित नही की जा रही है व उपरोक्त [illegible] प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद रूप से अंकित किये है और विधि अनुसार प्रार्थी के व [illegible] की भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी के नाम दर्ज है जिसे मिन अप्रार्थी किसी भी प्रकार [illegible] नही कर सकती है लेकिन उसके पश्चात भी प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद [illegible] आधार पर मिन अप्रार्थी के विरूद्ध मिथ्या आरोप लगाये है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार से [illegible]मय क्षति नही हो रही है, प्रार्थी रिकॉडर्ड खातेदार काश्तकार है और मन अप्रार्थीया को राजकीय व केन्द्रीय सुविधाओं के लाभ से वंचित करने के उद्देश्य से प्रार्थी ने कोलकालपित तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय से एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है जो कि काबिल खारिज योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:36:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा र्जित व अन्दर मियाद प्रस्तुत नही होने के कारण से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 की ओर से प्रस्तुत किया गया है जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली है जवाब अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज तथ्य वाद–पत्र प्रस्तुत करने की हद तक स्वीकार है लेकिन प्रार्थी को वाद–पत्र में कामयाबी की कोई आशा नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज तथ्य रिकार्डेड है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन गलत है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज तथ्य स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज तथ्य स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस कदर व्यक्त की गई है, अस्वीकार है। प्रार्थी का यह अभिकथन ज्ञान के अभाव मे अस्वीकार है कि प्रार्थी ने दो सप्ताह पूर्व जमाबन्दी प्राप्त की, तब प्रार्थी को यह ज्ञान हुआ कि स्व० अबकर के नाम दर्ज कृषि भूमि का अप्रार्थीगण ने बहिस्सा बराबर नामान्तरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया । हम अप्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड में कोई भी अंकन दर्ज नही करवाया है। प्रार्थी का यह कथन स्वीकार है कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण मुस्लिम विधि से शासित होते है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने राजस्व अधिकारीयों से छिपाकर असदभावनापूर्वक बहिस्सा बराबर का विरास्तन नामान्तरण अपने नाम से दर्ज करवाया, हम अप्रार्थीगण सख्या 8 ता 12 को विरासतन नामान्तरण बहिस्सा बराबर का दर्ज होने का कोई भी ज्ञान व जानकारी नही रही। प्रार्थी का यह कथन स्वीकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण मुस्लिम विधि के अनुसार पिता की भूमि में हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी थे और मुस्लिम विधि के अनुसार स्व० पिता की भूमि में पत्नी को 1/8 हिस्सा व प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक पुत्र से आधे हिस्से का निर्धारण किया हुआ है। यह भी स्वीकार है कि ऐसा नामान्तरण अविधिक तौर पर सभी के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुआ है जो कि मुस्लिम विधि के उतराधिकार के पूर्णतः विपरित होने से मूलतः ही अवैध व शून्य है और यह भी स्वीकार है कि ऐसे गलत नामान्तरण का फायदा उठाकर अप्रार्थीया संख्या 4 द्वारा अपना हिस्सा अपनी पुत्री अप्रार्थीया सख्या 7 के पक्ष में अन्तरित कर दिया है। हम अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 ने अपना कोई भी हिस्सा अप्रार्थीया सख्या 5 के पक्ष में अन्तरित नहीकिया है। राजस्व अभिलेख में स्व0 अकबर के नाम 2.538 हैक्टेयर भूमि की प्रविष्टियां प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम से जिस कदर अंकित की गई है, कतई, विधि विरूद्व एंव प्रारम्भतः ही शून्य है। (क) कि उपचरण क में दर्ज तथ्य स्वीकार है। (ख) कि उपचरण ख में दर्ज तथ्य स्वीकार है। (ग) कि उपचरण ग में दर्ज तथ्य जिस कदर व्यक्त किये गये है, अस्वीकार है। हम अप्रार्थीगण सख्या 8 ता 12 द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का अन्तरण नही किया गया है। अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 के पिता महरूम जाकिर हुसैन का देहान्त अपने पिता महरूम अकबर से पूर्व हो जाना स्वीकार है परन्तु यह कथन असत्य है कि मुस्लिम विधि में प्रतिनिधित्व के सिद्वान्त को स्वीकार नही किया जाता है और यह भी अस्वीकार है कि यदि व्यक्ति की मृत्यु पुत्र और पूर्व मृत पुत्र से पौत्र को छोडकर मृत होता है तो पुत्र उतराधिकारी होता है और पौत्र अपवर्जित किया जाता है, यह भी असत्य व गलत है कि इस स्थिति में हम अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 का उक्त प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हिस्सा ना हो। वादाधीन कृषि भूमि 2.538 हैक्टेयर में हम अप्रार्थीगण का मुस्लिम विधि के अनुसार .740 हैक्टेयर का हक व हिस्सा है और इसी अनुसार अपने हक की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेख में नामान्तरण दर्ज करवाने के अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थी ने इस चरण में असत्य व अस्पष्ट कथन अंकित किये है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस कदर व्यक्त की गई है, अस्वीकार है। अप्रार्थी सख्या 1 ता 7 के पक्ष में उनके हक व हिस्सा से अधिक कृषि भूमि का नामान्तरण गलत व विधि विरूद्व दर्ज हुआ है। हम अप्रार्थीगण का कुल 2.538 हैक्टेयर में से 1/8 हिस्सा का नामान्तरण गलत व विधि विरूद्व दर्ज हुआ है। मुस्लिम विधि में सभी हिस्सेदार को बहिस्सा बराबर का हक प्राप्त नही है। हम अप्रार्थीगण 8 ता 12 द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में कोई बैयनामा निष्पादित नही करवाया है। अप्रार्थीया 4 द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में अपने हक व हिस्सा से अधिक भूमि अन्तरित की गई है, जो कि अवैध व शून्य है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व जिस प्रकार की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त करना अंकित किया है, वह अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में दर्ज तथ्य असत्य व गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादाधीन कृषि भूमि में हम अप्रार्थीगण का 740 हैक्टेयर का हक व हिस्सा है, जिसके विरूद्व प्रार्थी किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

का अधिकारी नही है। हम अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की कृषि भूमि में 740 हैक्टेयर कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अतिरिक्त कथन

यह कि प्रार्थी के पिता महरूम अकबर के नाम से चक नम्बर 10 एसटीबी तहसील पीलीबंगा के पत्थर नम्बर 38/356 (63) किला नम्बर 1 ता 10/253 हैक्टेयर प्रत्येक, 25/2/.008 हैक्टेयर कुल 2.538 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज थी। वर्तमान में चक नम्बर 10 एसटीबी के खाता सख्या 3/4, सम्वत 2074–77, खाता अतावा आदि में अप्रार्थीया सख्या 1 ता 3 व 5 के नाम बहिस्सा बराबर 1/8 हिस्सा, अप्रार्थीया सख्या 5 के नाम 5/48 हिस्सा, अप्रार्थीया सख्या 6 के नाम 7/48 हिस्सा, अप्रार्थीया सख्या 7 के नाम 1/8 हिस्सा और प्रार्थी के नाम 1/8 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, यह हिस्सा कस्सी गलत अंकित है, जिसे विलोपित कर सही हिस्सा कस्सी अंकित की जानी आवश्यक है। महरूम अकबर के कुल 8 वारिसान है जिनमें पुत्र प्रार्थी मुन्सफ खां व अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 के पति/पिता स्वर्गीय जाकिर हुसैन, पुत्रीयां अप्रार्थी संख्या 1 अतावा, अप्रार्थी सख्या 2 अनारा, अप्रार्थी सख्या 3 गुलजारा, अप्रार्थी संख्या 4 जीकरा, अप्रार्थी संख्या 5 जुबैदा तथा पत्नी अप्रार्थी संख्या 6 दाल्ला है। महरूम अबकर की मृत्यु के उपरान्त उनकी वादाधीन 2.538 हैक्टेयर कृषि भूमि मुस्लिम विधि के अनुसार उनके दो पुत्रो प्रार्थी तथा स्व० जाकिर हुसैन के वारिसान अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 और पांच पुत्रीयों अतावा, अनारा, गुलजारा, जीकरा, जुबैदा, पत्नी दाल्ला को प्राप्त हुई। स्व० जाकिर हुसैन के वारिसान हम अप्रार्थीगण सख्या 8 ता 12 है। मुस्लिम विधि के अनुसार विरासत में प्राप्त सम्पति में पुत्रो का पुत्रीयों से दोगुना हिस्सा है तथा पत्नी का कुल सम्पति मे 1/ 8 हिस्सा होता है। इस अनुसार स्व0 अकबर की कुल 2.538 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी एंव स्व० जाकिर हुसैन प्रत्येक का .740–.740 हैक्टेयर हिस्सा, पुत्रीयां अतावा, अनारा, गुलजारा, जीकरा, जुबैदा प्रत्येक पुत्री का .148 –.148 हैक्टेयर तथा पत्नी अप्रार्थीया सख्या 6 दाल्ला का 1/8 हिस्सा अनुसार 317 हैक्टेयर हक व हिस्सा था परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने राजस्व अधिकारीयों व हल्का पटवारी के साथ मिलकर वादाधीन 2.538 हैक्टेयर भूमि को आठो वारिसो में प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के नाम बहिस्सा बराबर 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 के नाम 7/48 हिस्सा तथा हम अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 के नाम 5/48 हिस्सा भूमि करवा ली जो कि प्रारम्भत ही अवैध, शून्य व गलत है। यह कि अप्रार्थीया सख्या 4 ने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम से दर्ज हुआ 1/8 हिस्सा को यह जानते हुए कि अप्रार्थीया सख्या 4, 1/8 हिस्सा की अधिकारिणी नही है, स्वयं के 1/8 हिस्सा को अप्रार्थीया सख्या 7 के पक्ष में अन्तरित कर दिया। अप्रार्थीया सख्या 4 जीकरा का वादाधीन कृषि भूमि में केवल .148 हैक्टेयर हक व हिस्सा था तथा अप्रार्थीया सख्या 4 यह ज्ञान व जानकारी रखती थी कि उसका 148 हैक्टेयर हक व हिस्सा है तथा 1/8 हिस्सा यानि 317 हैक्टेयर का अंकन गलत दर्ज करवाया है इसलिए अप्रार्थीया सख्या 4 ने अप्रार्थीया सख्या 7 जो कि उसकी पुत्री है, के साथ मिलकर व साजबाज कर बिना प्रतिफल के तथा बिना अधिकारिता के 317 हैक्टेयर भूमि नुमाईशी तौर पर अन्तरित कर दी ताकि भविष्य में मन अप्रार्थीगण के हिस्सा को प्रभावित किया जा सके, ऐसा अन्तरण प्रारम्भतः ही अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है, इस अन्तरण से जमाबन्दी में अप्रार्थी सख्या 7 के नाम 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज हो गई जो कि विलोपित किये जाने योग्य है। 10. यह कि अप्रार्थीया सख्या 5 जुबैदा पत्नी जहांगीर, हम अप्रार्थीगण सख्या 8 की सगी ननद तथा अप्रार्थी संख्या 9 ता 12 की सगी भुआ है। फरवरी 2023 में अप्रार्थीया सख्या 5 और उसका पति जहागीर, हम अप्रार्थीगण सख्या 8 ता 12 ... और कहने लगे कि स्व0 अकबर की कृषि भूमि में अप्रार्थीया सख्या 5 का भी ... व ... है और उन्हे रूपयो की आवश्यकता है इसलिए वे अपनी कृषि भूमि ... जिसके लिए भूमि रहन रखनी होगी और चूँकि भूमि संयुक्त खाता की है ... खातेदारो की ऋण के लिए सहमति की आवश्यकता है और यह भी कहा कि शेष सह खातेदारो ने अपनी सहमति दे दी है। अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 भी अपनी सहमति दे देवे चूँकि अप्रार्थीया सख्या 5, हम अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 12 की ननद/भुआ है, की बात मानकर हम अप्रार्थीगण ने ऋण लेने के लिए सहमति देना स्वीकार कर लिया तब अप्रार्थी संख्या 5 व जहांगीर ने दो दिन बाद हम अप्रार्थीगण को पीलीबंगा तहसील मे बुलाया, दो दिन बाद हम अप्रार्थीगण जब पीलीबंगा तहसील में गये, उस समय अप्रार्थीया सख्या 5 व जहांगीर तथा एक अन्य व्यक्ति वहां उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

था उन्होने पहले से ही स्टाम्प पर लिखा पढी करवा रखी थी। हम अप्रार्थीगण के पहुंचते ही अप्रार्थीया संख्या 5 व जहांगीर ने कहा कि ऋण लेने के लिए सहमति देने के कागजात है, आप सभी अपने हस्ताक्षर/अंगूठे उन कागजातो पर कर दो। अप्रार्थीया सख्या 5 व जहांगीर पर विश्वास कर उन दस्तावेजो व कागजो पर हम अप्रार्थीगण ने बिना पढे, बिना समझे जहा जहां पर उन्होने कहा, अपने हस्ताक्षर अंगूठे कर दिये, उसके बाद अप्रार्थीया सख्या 5 व जहांगीर, हम अप्रार्थीगण को एक सरकारी कार्यालय में ले गये तथा वहां भी जहां जहां अप्रार्थीया संख्या 5 व जहांगीर ने कहा, हम अप्रार्थीगण ने वहां वहां अंगूठे हस्ताक्षर कर दिये। दोनो स्थानो पर यहां हम अप्रार्थीगण के अंगूठे हस्ताक्षर करवाये गये थे, उस समय हस्ताक्षर/अंगूठे करवाने से पूर्व पहले से लिखे हुए दस्तावेज और कागजो को पढकर न तो सुनाया गया, ना ही समझाया गया, ना ही दस्तावेज कागजो की अर्न्तवस्तु के बारे में बताया गया तथा केवल यही बताया था कि ये दस्तावेज व कागज लोन लेने के लिए फरवरी देने के है। यह कि उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र के सम्मन प्राप्त होने के उपरान्त अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर जब प्रार्थना पत्र का अध्ययन करवाया तथा जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की, तब हम अप्रार्थीगण को सर्वप्रथम ज्ञान व जानकारी हुई कि अप्रार्थीया सख्या 5 व उसके पति जहांगीर ने संयुक्त खाता में ऋण लेने के लिए सहमति देने के कागजात दस्तावेज होना बताकर पहले से लिखे हुये दस्तावेजो, कागजो को बिना पढाये, सुनाये, समझाये हम अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर अंगूठे करवाये थे, वास्तव में वे ऋण की सहमति देने के दस्तावेज कागजात न होकर बैयनामा के कागजात थे जिन्हे अप्रार्थीया सख्या 5 ने अपने पति जहांगीर, गवाह मनोज कुमार, कातिब तथा उप पंजीयक कार्यालय के अधिकारीयो, कर्मचारीयों के साथ मिलकर व साजबाज कर बिना प्रतिफल दिए लिखा व पंजीबद्ध करवाया है। अप्रार्थीया सख्या 5 को हम अप्रार्थीगण ने दिनांक 17.02.2023 को अपनी 5/48 हिस्सा की कृषि भूमि 2,37,800 /– रूपये में विक्रय नही की, न ही रूबरू गवाहान पूर्व में 2,30,000/–रूपये प्राप्त किये और ना ही दिनांक 17.02.2023 को 7,800/– रूपये प्राप्त किये, ना ही भूमि का कब्जा अप्रार्थीया सख्या 5 को सौपा। वादाधीन कृषि भूमि में 740 हैक्टेयर भूमि का कब्जा काश्त हम अप्रार्थीगण का ही है। बैयनामा दिनांक 17.02.2023 बिना प्रतिफल के फर्जी व कूटरचित तथा साजिशाना हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि हडप करने के लिए उचित किया है जो कि प्रारम्भतः ही अवैध, शून्य व अप्रवर्तनीय है और हम अप्रार्थीगण के आधिकारो पर निष्प्रभावी है। इस बैयनामा से अप्रार्थीया सख्या 5 को कोई अधिकार प्राप्त नही होते। वादाधीन कृषि भूमि का बाजार मूल्य वर्ष 2023 में 15,00,000/– रूपये प्रतिबीघा था ऐसी स्थिति मे हम अप्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि मात्र 2,37,800/– रूपये में विक्रय करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता, इस अवैध, शून्य, अप्रवर्तनीय, बिना अधिकार के बैयनामा के आधार पर अप्रार्थीया सख्या 5 ने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम भी अंकित करवा लिया है जो गलत अंकन की श्रेणी में आता है जो विलोपित किये जाने योग्य है।

यह कि अप्रार्थीगण सख्या 8 ता 12 को बैयनामा दिनांक 17.02.2023 की जानकारी होने पर हम अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीया संख्या 5 व जहांगीर से अपना विरोध दर्ज करवाया और औलमा दिया कि जब हम अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीया सख्या 5 को अपनी कृषि भूमि विक्रय की ही नही तब उसने ऋण लेने की सहमति देने की आड में यह बैयनामा क्यो लिखवाया है, तब अप्रार्थीया सख्या 5 ने कहा कि उन्होने तो अप्रार्थीया सख्या 8 ता 12 की कृषि भूमि हडप करने के लिए ठगी कर बैयनामा लिखवाया है और यह भी धमकी दी कि वे शीघ्र ही अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 को उनके हक व हिस्सा की भूमि से जबरन बेदखल कर भूमि पर कब्जा कर लेगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:36:30 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में उनके [illegible] अधिकार से अधिक व गलत, बिना अधिकारिता के हिस्सा दर्ज हो [illegible] ता 7 के मन में बेईमानी आ गई है और अप्रार्थी सख्या [illegible] हिस्सा का फायदा उठाकर कृषि भूमि को अन्यत्र रहन, बैय [illegible] हम अप्रार्थी सख्या 8 ता 12 को उनके हक व हिस्सा 740 हैक्टेयर भूमि से जबरन [illegible]ल करने व कब्जा करने हेतु प्रयासरत है तथा प्रार्थी भी अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के साथ मिला हुआ है, यदि प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 आपस मे साजबाज व मिलीभगत कर हम अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 12 के हक व हिस्सा 740 हैक्टेयर की कृषि भूमि को अन्यत्र रहन, बैय व अन्तरण कर देते है या हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल कर देते है तो हम

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थीगण को अपरिमेय व साम्पातिक क्षति होगी, इन आवश्यक एंव तात्कालिक परिस्थितियों में हम अप्रार्थीगण विरूद्व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है कि हम अप्रार्थीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि 740 हैक्टेयर अन्य दीगर व्यक्तियो को रहन, बैय, अन्तरित करने तथा हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा करने से निषिद्व रहे।

यह कि वादाधीन कृषि भूमि संयुक्त खाते की है जिसके कारण सह खातेदारो के मध्य बट, सीव व रकमराज को लेकर विवाद रहता है, ऐसी स्थिति में हम अप्रार्थीगण, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 से अच्छी मन्दी भूमि अनुसार खाला व रास्ता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7, हम अप्रार्थीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि 740 हैक्टेयर अन्य दीगर व्यक्तियो को रहन, बैय, अन्तरित करने तथा हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा करने से निषिद्व रहे।

जबाव प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थीया सं. 5 जुबैदा की ओर से निम्न प्रकार से है यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थी को उक्त वाद पत्र मे किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नही है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय बिन्दु के क्षति प्रार्थी के पक्ष मे नही होकर मिन अप्रार्थीया के पक्ष मे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है जिसमे मिन अप्रार्थीया का 5/48 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से मिथ्या तथ्यों के आधार पर अंकित किये गये है, असत्य व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है, क्योंकि उक्त मद मे वर्णित कथन प्रार्थी द्वारा केवल मात्र वाद को मात्र रंगत देने की गर्ज से अंकित किये है क्योंकि मिन अप्रार्थीया की जानकारी के अनुसार प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है और संयुक्त रूप से निवास कर रहे है तथा प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण द्वारा परस्पर सहमति व घरा घरू बंटवारा अनुसार ही मृतक अकबर के नाम वाद पत्र की मद सं. 2 मे वर्णित 2.538 हैक. कृषि भूमि का राजस्व नामान्तरण ब.हि.ब. दर्ज करवाया था जिसमे प्रार्थी की पूर्ण रूप से सहमति थी और उक्त नामान्तरण की जानकारी प्रार्थी को आरम्भ से रही और प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध मे मौखिक रूप से हुए घरा घरू बंटवारा अनुसार नामान्तरण करवाने का उद्देश्य रखा व समस्त सदस्यों के मध्य साम्पतिक विवाद पैदा न हो, इस कारण मृतक अकबर के समस्त वारिसान द्वारा प्रशनगत कृषि भूमि को ब . हि. ब. प्राप्त करना स्वीकार करते हुये उक्त नामान्तरण की कार्यवाही अमल में लाई गई थी और इसलिए प्रार्थी ने उक्त नामान्तरण कार्यवाही को किसी भी राजस्व न्यायालय मे चुनौती नही दी, इससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने अपनी पूर्ण स्वतंत्र ईच्छा व सहमति से उक्त नामान्तरण समस्त सदस्यों के पक्ष मे ब.हि.ब. करवाया था। अप्रार्थी सं. 8 ता 12 को घरेलू जरूरत हेतू रूपयों की आवश्यकता होने के कारण अप्रार्थी सं. 8 ता 12 ने वादग्रस्त कृषि भूमि मे अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि रोबरू गवाहान दिनांक 17.02.2023 को जरिये बैयनामा मिन अप्रार्थी सं. 5 को बेचान कर बेचान की प्रतिफल राशि प्राप्त की थी और अप्रार्थी सं. 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि अपनी पुत्री अप्रार्थी सं. 7 के पक्ष मे दिनांक 15.05.2023 को जरिये पंजीयन दस्तावेज दान पत्र के हस्तांतरित क[illegible] थी। उक्त दस्तवेज बैयनामा व दान की जानकारी प्रार्थी को आरम्भ से रही है क्योंकि उक्त [illegible]वेज दान पत्र व बैयनामा के आधर पर कृषि भूमि का राजस्व रि[illegible] अप्रार्थी सं. 7 के पक्ष मे हो चुका था और मिन अप्रार्थीया [illegible]मय 1/8 हिस्सा व बैयनामा के रोज से अप्रार्थी सं. 8 ता 12 के हक व हिस्सा की कृ[illegible]भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है जिसकी जानकारी भी प्रार्थी को आरम्भ से रही है क्योंकि प्रार्थी व मिन अप्रार्थीया व शेष अप्रार्थी के नाम उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है। प्रार्थी को उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने के पश्चात भी प्रार्थी द्वारा हस्तगत वाद पत्र दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत करने से पूर्व एक वाद पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जो कि प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:36:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय की अनुमति से दिनांक 12.01.2024 को वापिस ले लिया था। इससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा केवल मात्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर मिन अप्रार्थीया व शेष अप्रार्थी से रंजिश रखने के कारण यह वाद प्रस्तुत किया है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की सहमति से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के पश्चात प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 4 व 8 ता 12 के हिस्सा को हड़पने हेतू प्रयासरत था लेकिन अप्रार्थीया 8 ता 12 ने अपना हक व हिस्सा का बेचान मिन अप्रार्थीया को जरिये पंजीयन बैयनामा करके प्रतिफल राशि मिन अप्रार्थीया से प्राप्त करके बैयनामा तहरीर व पंजीबद्व के हस्तांतरित कर दी थी जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने उक्त वाद पत्र बिना किसी वाद कारण की अधिकारिता होने व मियाद बाहर होने के पश्चात भी प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है। प्रार्थी वाद पत्र मे उल्लेखित आधारों के अनुसार घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योंकि प्रार्थी द्वारा विरासतन नामान्तरण अनुसार अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त कर चुका है और प्रार्थी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे दर्ज है। कि उपचरण (क) मे वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है असत्य, मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी व शेष अप्रार्थी के मध्य प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध मे मृतक अकबर के जीवनकाल मे मौखिक रूप से उनकी सहमति अनुसार घरा घरू बटवारा किया जा चुका था और उसी अनुसार मृतक अकबर के नाम दर्ज कृषि भूमि उनके समस्त वारिसान को ब.हि.ब. प्राप्त हुई थी जिससे प्रार्थी की पूर्ण रूप से सहमति थी। कि उपचरण ख मे वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये असत्य व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है जैसा की पूर्व की मद मे उल्लेख किया चुका है कि समस्त वारिसान की पूर्ण सहमति से बराबर कृषि भूमि प्राप्त की और उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे नामान्तरण की कार्यवाही अमल में लाई गई थी। यदि उक्त नामान्तरण से प्रार्थी के हित प्रभावित हुये होते तो प्रार्थी के द्वारा नामान्तरण को चुनौती हेतू सक्ष्म न्यायालय में कार्यवाही की जाती लेकिन प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक विरासतन नामान्तरण के विरूद्ध कोई कार्यवाही अमल मे नही लाई गई है तथा अप्रार्थी सं. 8 ता 12 द्वारा मिन अप्रार्थीया के पक्ष मे बेचान कृषि भूमि दिनांक 17.02.2023 के दस्तावेज पंजीयन बैयनामा को किसी सिविल न्यायालय मे आज दिनांक तक चुनौती नही दी है, इन सब से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विरासतन नामान्तरण की कार्यवाही मे प्रार्थी की पूर्ण रूप से स्वतंत्र ईच्छा व सहमति रही है और उनसके पश्चात भी मिथ्या तथ्यों के आधार पर हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज योग्य है। कि उपचरण ग मे वर्णित कथन असत्य, मनगढ़त आधारो पर अंकित होने के कारण अस्वीकार है। उक्त उप चरण मे वर्णित कथनों का मिन अप्रार्थीया से कोई सरोकार नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये है, अस्वीकार है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि का इन्तकाल लगभग 7 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसकी प्रार्थी को आरम्भ से जानकारी रही है और प्रार्थी की उक्त इन्तकाल के संबंध मे सहमति रही है और उक्त इन्तकाल से यदि प्रार्थी के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ा होता तो प्रार्थी के द्वारा उक्त इन्तकाल के संबंध मे कोई कार्यवाही अमल में लाई जाती लेकिन प्रार्थी ने उक्त इन्तकाल को आज दिनांक तक चुनौती नही दी है तथा उक्त इन्तकाल के अनुसार ही अप्रार्थी सं. 8 ता 12 को प्राप्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 8 ता 12 ने मिन अप्रार्थीया को प्रतिफल राशि मे बेचान करके मिन अप्रार्थीया के पक्ष मे दस्तावेज बैयनामा पंजीयन करवा जा चुका है और उक्त दस्तावेज बैयनामा के आधार पर मिन अप्रार्थीया ने उसी रोज विवादग्रस्त कृषि भूमि का हक व हिस्सा अनुसार कब्जा प्राप्त कर लिया है और निर्विवाद रूप से निरन्तर काश्त कर रही है। प्रार्थी के द्वारा उक्त बैयनामा को आज दिनांक तक सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती नही दी है इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी की उक्त इन्तकाल के संबंध मे पूर्ण सहमति थी और उक्त इन्तकाल घरा घरू बंटवारा अनुसा[illegible] की गई थी लेकिन अब प्रार्थी मिन अप्रार्थीया व शेष अप्रार्थीगण से रंजिश र[illegible] जिसके कारण से प्रार्थी मिन अप्रार्थीया व शेष अप्रार्थीगण को त[illegible] तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया है क्योंकि यदि मिन अप्रार्थी[illegible] शेष अप्रार्थीगण द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर इन्तकाल की कार्यवाही की गई होती तो प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थीया व शेष अप्रार्थी के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही अमल में लाई जा[illegible] लेकिन प्रार्थी ने आज दिनांक तक कोई सिविल / फौजदारी कार्यवाही मिन अप्रार्थीया व शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध नही की है। इससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी केवल मात्र बदयांतिपूर्वक मिन अप्रार्थीया व शेष अप्रार्थीगण का हक व हिस्सा मारने की गर्ज से व मिन अप्रार्थीया को व शेष अप्रार्थीगण को उनके विधिक अधिकारों से महरूम करने के उद्देश्य से मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी को उसके हक व हिस्सा की कृषि भूमि पूर्व मे ही प्राप्त हो चुक है इस कारण प्रार्थी मिथ्या तथ्यों के आधार पर मुस्लिम विधि की आड मे कोई घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी व मिन अप्रार्थीया व शेष अप्रार्थी के पक्ष मे इनतकाल की कार्यवाही राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधि अनुसार अमल में लाई गई है और इस कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे कलमजन करवाने का अधिकारी नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है, असत्य, मनगढ़त होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीया रिकॉडर्ड खातेदार काश्तकार है जिसके कारण से प्रार्थी को मिन अप्रार्थीया के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नही है और इसलिए प्रार्थी मिन अप्रार्थी के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। मिन अप्रार्थीया द्वारा किसी प्रकार से कोई दखलअंदाजी कारित नही की जा रही है व उपरोक्त समस्त कथन प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद रूप से अंकित किये है और विधि अनुसार प्रार्थी के व हक व हिस्सा की भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी के नाम दर्ज है जिसे मिन अप्रार्थी किसी भी प्रकार से हस्तांतरण नही कर सकती है लेकिन उसके पश्चात भी प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर मिन अप्रार्थी के विरूद्व मिथ्या आरोप लगाये है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार से अपरिमय क्षति नही हो रही है, प्रार्थी रिकॉडर्ड खातेदार काश्तकार है और मन अप्रार्थीया को राजकीय व केन्द्रीय सुविधाओं के लाभ से वंचित करने के उद्देश्य से प्रार्थी ने कोलकालपित तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय से एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है जो कि काबिल खारिज योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित व अन्दर मियाद प्रस्तुत नही होने के कारण से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4,6 की ओर से अधिवकताा अप्रार्थी द्वारा हिदायत पैरवी नहीं करने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही जारी है। स्टेट जवाब प्रकरण में प्राप्त हो चुका है शामिल पत्रावली है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एव जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 5,7 ता 12 का गहन अध्ययन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण का प्रशनगत कृषि भुमि में अपने हक व हिस्सा से अधिक इन्तकाल दर्ज है जो पुर्णतय गलत व विधिविरूद्ध है बहस में अगे कथन किया कि मुस्लिम विधि के अनुसार हिस्सेदारो को ब.हि.ब. का हक प्राप्त नहीं है। इसके बावजुद भी इस गलत इन्तकाल का फायदा उठाकर महरूम जाकिर हुसैन के वारीसान अप्रार्थीगण सं. 8 ता 12 द्वारा एक बैयनामा अप्रार्थी सं. 5 के पक्ष में करवा दिया है व अप्रार्थी सं. 4 के द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. 7 के पक्ष में अंतरित कर दिया है, ऐसा अन्तरण शुरू से अवैध व शुन्य है तथा वादी के हितो पर निष्प्रभावी है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा तादावा फैसला स्थाई व्ययादेश जारी किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 व 7 द्वारा बहस में कथन किया गया कि अप्रार्थी सं. 8 ता 12 ने वादग्रस्त कृषि भूमि मे अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि रोबरू गवाहान दिनांक 17.02.2023 को जरिये बैयनामा मिन अप्रार्थी सं. 5 को बेचान कर बेचान की प्रतिफल राशि प्राप्त की थी और अप्रार्थी सं. 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि अपनी पुत्री अप्रार्थी सं. 7 के पक्ष मे दिनांक 15.05.2023 को जरिये पंजीयन दस्तावेज दान पत्र के हस्तांतरिक कर दी गई थी। प्रार्थी को उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने के पश्चात भी प्रार्थी द्वारा हस्तगत वाद पत्र दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत करने से पूर्व एक वाद पत्र [illegible] किया गया जो कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय की अनुमति से दिनांक 12.01.2024 को वा[illegible] था। इससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा केवल मात्र [illegible] अप्रार्थीया व शेष अप्रार्थी से रंजिश रखने के कारण यह वाद [illegible] उक्त वाद पत्र बिना किसी वाद कारण की अधिकारिता होने व मियाद बाहर होने के पश्चात भी प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण [illegible]कों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है पूर्व में जारी अस्थाई स्थगनादेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 16.01.2024 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

28/8/25

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested